न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 09/2015
मो0 सैफुल बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी मो0 सैफुल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा गोपनीय शाखा के ज्ञापांक 1572–2/गो0 दिनांक 12.05.2015 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है दिनांक 24.03.2015 को 04 बजे अपराह्न सूबेदारी टोला, वार्ड नंबर– 31 सहरसा मो0 रूस्तम एवं कौशर दिना, पिता– मो0 सैफुल जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपीलार्थी के पक्का गोदाम में गुप्त सूचना के आधार पर की गयी छापामारी में कुल 119.50 क्विंटल चावल तथा 240 क्विंटल गेहूँ जब्त किया गया। जप्त चावल में 50 किग्रा वाला 200 बोरे पर भारत सरकार सेन्ट्रल फूड ग्रेंस अंकित था तथा सभी बोरे पर हरियाणा राईस (एफ0सी0आई0), जगदम्बा राईस मिल्स खिजराबाद अरवा चावल ग्रेड 'ए' का टैंग लगा पाया। 50 किग्रा किलो वाला 400 बोरा गेहूँ जिस पर भारतीय खाद्य निगम अंकित था। धटना स्थल पर मो0 कौशर पिता– मो0 सैफुल अपने 09 मजदुरों के साथ सील बोरे को खोलकर स्थानीय बोरे में तौल कर पलटी करते तथा हाथ सिलाई कर एफ0सी0आई0 खाद्यान्न को लोकल बताते पकड़ा गया। गिरफ्तार मो0 कौशर द्वारा पूछने पर बताया गया कि गोदाम उनके तथा अनके भाई के नाम से है। परन्तु खाद्यान्न का कोई अनुज्ञप्ति नहीं दिखाया गया, उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पिता मो0 सैफुल पिता– स्व0 हैमुल जन वितरण प्रणाली विक्रेता से जान पहचान श्री राजेश गुप्ता, पिता– चलितर साह, शिवपुरी, सहरसा से है। जिनके सहयोग से एस0एफ0सी0/एफ0सी0आई0 का सरकारी खाद्यान्न अपने गोदाम से मंगाते है तथा पुनः उलटफेर कर माल को उँचे दाम पर कालाबजारी कर बेच देते है। इस आरोपों पर सहरसा थाना कांड संख्या– 210/2015 दिनांक 26.03.2015 दर्ज कराकर मो0 सैफुल जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति 36/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1572–2 दिनांक 12.05.2015 द्वारा रद्ध कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है। अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने के बिन्दु पर अपीलार्थी का दलील है कि उनका गोदाम वार्ड नंबर– 39 सूबेदारी टोला में है तथा वे अपने पुत्रों से अलग रहते है और उनके व्यापार में पुत्रों की कोई सहभागिता नहीं है। उनके द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंधन नहीं किया गया है। दिनांक 24.03.2015 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा छापेमारी कर जप्त सामग्री का जप्ती सूची तैयार कर उनकी अनुपस्थति में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जप्त खाद्यान्न उनके दुकान का नहीं है और न ही उनके व्यापार स्थल पर छापेमारी की गयी है और न ही उन्हे उक्त स्थल से गिरफ्तार किया गया है। उनके पुत्र के गोदाम से अपीलार्थी के दुकान को दूरी 01 किलोमीटर है। अग्रतर उनका कहना है कि वे जेल में थे और उन्हें सुने बिना उनकी अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी। जिसके विक्षुब्ध होकर उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की गयी है।

चूँकि उक्त घटना स्थल पर मो0 कौशर, पिता– मो0 सैफुल अपने नौ मजदूरों के साथ सील्ड बोरे को खोलकर स्थानीय बोरे में तौलकर पलटी करते तथा हाथ सिलाई कर एफ0सी0आई0 खाद्यान्न को लोकल बनाया जा रहा था, पाया गया। गिरफ्तार मो0 कौशर द्वारा पूछने पर बताया गया कि गोदाम उनके तथा उनके भाई के नाम से है, परन्तु उक्त गोदाम में खरीद किये जाने वाले खाद्यान्न का कोई अनुज्ञप्ति नहीं दिखाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता मो0 सैफुल, पिता– स्व0 हैयूल जन वितरण प्रणाली विक्रेता की जान पहचान श्री राजेश गुप्ता, पिता– श्री चलित्तर साह, शिवपुरी, सहरसा में है। इन दोनो के सहयोग से एफ0सी0आई0/एस0एफ0सी0 का सरकारी खाद्यान्न अपने गोदाम से मंगाते है तथा उसका उलट–फेर कर पुनः माल को अन्यत्र उँचे दाम पर कालाबजारी कर बेच देते है। मो0 कौशर इनके पुत्र है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मो0 सैफुल जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या– 36/2007 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में वर्णित प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों, कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्त्वों एवं राज्य सरकार के आदेश का उल्लंधन करने तथा खाद्यान्न की कालाबजारी में संलिप्त रहने के आरोप प्रमाणित होते है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी सरकारी खाद्यान्न के कालाबजारी में संलिप्त थें।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील को [illegible] स्तर पर ही खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

5.3.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।

5.3.18

समाहर्त्ता,
सहरसा।